

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/मंडी/कार्मिक/बी-1/विविध-26/ 2016  
प्रति,

भोपाल दिनांक 08/04/2019

- 1- संयुक्त संचालक/उप संचालक,  
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)
2. भारसाधक अधिकारी/सचिव,  
कृषि उपज मण्डी समिति,  
.....जिला.....(समस्त)

विषय:-कृषि उपज मण्डी समिति की उपविधि में सहायक ग्रेड-03 पद की शैक्षणिक अर्हता का प्रावधान स्थापित करने बाबत।

संदर्भ:-म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल का परिपत्र क्रमांक सी 3-15/2014 /1/3, दिनांक 26 जनवरी 2015.

कृषि उपज मण्डी अधिनियम- 1972 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में शासन के परिपत्र का अनुसरण करते हुए सहायक ग्रेड-03/निम्न श्रेणी लिपिक पद की निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के स्थान पर कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 80 तथा 30 (2) के तहत कृषि उपज मण्डी उपविधि 1987 की अनुसूची क्रमांक-03 में सहायक ग्रेड-03/निम्न श्रेणी लिपिक पद की शैक्षणिक अर्हता के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान दिनांक 30.04.2019 तक स्थापित किया जाए।

1. हायर सेकेन्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test- सीपीसीटी) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) (राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था से कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र हो)
3. निम्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा :

1-यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

2-यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

3-डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।

4-शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट कोर्स।

5-राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन सी वी टी) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस सी वी टी) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (सी ओ पी ए) प्रमाण पत्र।


निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त उपबंध स्थापित ना होने पर धारा 81 के तहत उक्त प्रावधान स्वमेव प्रभावी हो जावेगा।

(फैज अहमद किदवई)

आयुक्त सह-प्रबंध संचालक  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक/मुख्य अभियन्ता/संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. कार्यालय संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर, रीवा, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, सागर, इन्दौर।
4. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग.....
5. लेखाधिकारी (लेखा/आडिट/पेंशन) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
6. अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/समस्त पटल प्रभारी।
7. बोर्ड बैठक/मण्डी कार्मिक/निर्माण/कम्प्यूटर सेल/सूचना पटल/एम.आई.एस./समस्त शाखा .....मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।



आयुक्त सचिव प्रबंध संचालक  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल